न्यायालय, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०– एम०–105 / 18
धारा–107 द०प्र०सं०
शलैश महतो वगैरह .....प्रथम पक्ष
बनाम
मो० बुधनी देवी वगैरह.....द्वितीय पक्ष

तिथि	आदेश	
05/03/2019	प्रस्तुत वाद में राहे ओ०पी० के अप्राथमिकी संख्या–34 / 18 दिनांक–22 / 07 / 2018 के तहत पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर धारा–107 द०प्र०सं० के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई है। खाता संख्या 13 प्लॉट संख्या–364 रकबा–0.11 एकड़ भूमि पर दिवाल देने के कारण यह विवाद उत्पन्न हुआ है। वाद में उभय पक्षों द्वारा कारण पृच्छा प्रस्तुत करते हुए एक दूसरे पर शांति भंग करने से संबंधित आरोप लगाया है। प्रथम पक्ष ने अपने कारणपृच्छा में प्रतिवेदित किया है कि विवादित भू–खण्ड जो प्रथम पक्ष के दखल में है तथा जिस पर प्रथम पक्ष के सदस्यों का स्वत्व(हक) है, में द्वितीय पक्ष के सदस्य असमाजिक तत्वों से मिलकर जबरजस्ती दीवाल देने का प्रयास कर रही है, तथा प्रथम पक्ष के मना करने पर जान से मरवा देने की धमकी दे रही है। द्वितीय पक्ष ने अपने कारणपृच्छा में प्रतिवेदित किया है कि यह जमीन मेरा खतियानी है। वह कि यह जमीन पर मेरा घर है, जो पक्का मकान है एवं आज इस जमीन पर हमलोग 100 वर्षों से अधिक से शांतिपूर्ण ढग से कब्जा है। इस घर में दुकान भी चलाती हूँ, जो मेरा जीविका का साधन है। जमीन माफिया घर मकान एवं जमीन को कब्जा कर लेने का प्रयास चला रहा है। प्रथम पक्ष स्वतंत्र गवाह 1 :– जितेन्द्र ज्योति, पिता–दिग्विजय महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि झगड़ा वाला जमीन गोमदा मौजा में है। खाता संख्या 13 प्लॉट संख्या–364 रकबा–11 डी० प्रथम पक्ष का है। उक्त जमीन प्रथम पक्ष का है। उक्त जमीन को प्रथम पक्ष रजिस्ट्री पट्टा से प्राप्त किए है।जिसे प्रथम पक्ष के दादाजी खरीदे है। उसी समय से प्रथम पक्ष के दखल कब्जा में है। केस चलने के बाद से अभी द्वितीय पक्ष शांत है। द्वितीय पक्ष बुधनी देवी का मकान प्लॉट संख्या–364 में है। घेरा बनाने का काम प्रथम पक्ष के हिस्से में कर रही है। प्रथम पक्ष स्वतंत्र गवाह 2:– प्रताप कुमार महतो, पिता–धनीराम महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि विवादित जमीन को प्रथम पक्ष के दादाजी हरीपदो महतो खरीदे थे। खरीदगी के बाद से ही हरीपदो महतो का परिवार का दखल–कब्जा है। द्वितीय पक्ष का घर है, लेकिन किस प्लॉट में है मैं नहीं जानता है। द्वितीय पक्ष उसी घर में दुकान चलाती है। घटना के दिन मैं विवादित जमीन के पास रास्ते में था। विवाद के समय दोनों पक्ष आपस में गाली–गलौज कर रहे थे। वर्त्तमान में द्वितीय पक्ष द्वारा झगड़ा–झंझट करने की संभवना है या नहीं, बता नहीं सकता हूँ। प्रथम पक्ष पार्टी गवाह:– शैलेश महतो पिता–स्व० रामगुलाम महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि विवादित जमीन खाता संख्या–13, प्लॉट संख्या–364 रकबा–22 डी० मध्ये 11 डी० है। ये जमीन हमलोगो को पट्टा से प्राप्त हुआ है। गौर बरन सिंह से हरिपदो महतो 29 / 08 / 1963 को खरीदे है। हरिपदो महतो मेरे दादाजी है। उस समय से आज तक उक्त जमीन में हमलोग दखलकार है। इसका मालगुजारी रसीद हरिपदो महतो के नाम से निर्गत होता है। विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष बाउण्ड्री वॉल कर रहे थे। मना किया तो असमाजिक तत्वों से मिलकर मुझे धमकी दिया गया। धमकी देने वाले असमाजिक तत्वों का नाम नहीं जानता हूँ। अभी फिलहाल में द्वितीय पक्ष से मेरा कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ है। द्वितीय पक्ष स्वतंत्र गवाह–सुधन हरिजन, पिता–अर्जुन हरिजन ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि विवादित जमीन खाता संख्या–13, प्लॉट संख्या–364 रकबा–22 डी० है। उक्त जमीन खतियान में गहनु तेली के नाम से है। उक्त जमीन को गहनु तेली या उसके वंशज कभी खरीद–बिक्री नहीं किए है। द्वितीय पक्ष का घर प्लॉट संख्या–364 में है, जिसे कंचन तेली ने बनवाया है उसी जमीन का घेराबंदी कर रही थी। तब शैलेश महतो और अनिल महतो पिता–रामगुलाल महतो के द्वारा रोका गया।	

तिथि	आदेश	

द्वितीय पक्ष पाटी गवाह–बुधनी देवी, पति–स्व० सुभाष साहू ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि विवादित जमीन खाता संख्या–13, प्लॉट संख्या–364 रकबा–22 डी० है। खतियान में विवादित जमीन गहनु तेली के नाम से है। हमलोग इसी विवादित जमीन पर चाहरदिवारी दे रहे थे तब प्रथम पक्ष के लोग झगड़ा और धमकी–चमकी दिए। इसके पहले प्रथम पक्ष के सदस्य कभी इस जमीन पर दावा नहीं किए थे।

वाद में प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन, उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा, गवाहों की गवाही एवं विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने से यह स्पष्ट होता है कि विवाद भूमि पर परस्पर दावेदारों को लेकर उत्पन्न हुआ है, जो कि सक्षम न्यायालय का मामला है। वर्त्तमान में शांति–व्यवस्था कायम है। उभय पक्ष को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में भी शांति व्यवस्था बनाये रखे। वाद में अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

05/03/19

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)

05/03/19

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.07.19 12:10:25 +05:30
Location: 10.93.79.5